न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 211/2016

श्यामलाल पुत्र मनीराम जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नं0 5 रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर ।
2. तोलाराम पुत्र मनीराम जाति ब्राहमण निवासी लिखमेवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
3. कुलदीप पुत्र कृष्णलाल पुत्र मनीराम जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नं0 4 रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
4. मनीषा पुत्री कृष्णलाल पुत्र मनीराम जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नं0 4 रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर । —रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर दिनांक 07.01.2008

उपस्थितिः–

श्री रविन्द्र बिश्नोई अभिभाषक अपीलार्थी।

श्री वेदप्रकाश शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

श्री परविन्द्र बिश्नोई अभिभाषक रेस्पो.संख्या 2

श्री धनराज बिश्नोई अभिभाषक रेस्पो. सं. 3 व 4

निर्णय दिनांक 23.04.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर के आदेश दिनांक 07.01.2008 के विरूद्ध पेश की है जिसके द्वारा चक लखीटिब्बा के मु0न0 477 के कि.नं. 1 से 25 की 6.325 है0 भूमि प्रार्थी तोलाराम को टीसी से पुख्ता आवंटित की गई है।

23/4/18

राजस्व अपील प्राधिकारी

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि अपीलार्थी के पिता मनीराम को आरजी काश्त पर आवंटित होती रही जिसकी काश्त में अपीलार्थी व अन्य पुत्र सहयोग करते थे। रेस्पो. संख्या 2 सबसे बड़ा पुत्र होने के नाते उसे हर कार्य के लिए आगे रखा जाता था। तोलाराम ने इसका लाभ उठाते हुए उक्त विवादित भूमि का टीसी से पुख्ता आवंटन अपने नाम करवा लिया। उक्त आवंटन करने से पूर्व अपीलांट व रेस्पो. 3 व 4 को न तो पक्षकार बनाया और न ही सुनवाई का कोई अवसर दिया। रेस्पो. तोलाराम अकेला विवादित भूमि के आवंटन की पात्रता नहीं रखता था। अपीलांट को बिना सुने एवं बिना पक्षकार बनाये आदेश पारित किया है अपील पेश करने की अनुमति बाबत धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया है जो स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो सं0 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि रेस्पो.संख्या 2 को टीसी पर आवंटित थी एवं समय–समय पर नवीनीकरण होता रहा है रेस्पो.संख्या 2 द्वारा टीसी से पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र पेश करने पर सभी तथ्यों को जांच के पश्चात नियमानुसार पुख्ता आवंटन किया है जो सही होने से अपील खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील पेश करने की अनुमति बाबत अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका खंडन रेस्पो. द्वारा जवाब पेश

23/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

कर नहीं किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपीलार्थी द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 07.01.2008 के विरूद्ध दिनांक 29.09.2016 को पेश की है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका खंडन रेस्पो. ने प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश करके नहीं करने से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील अधी.न्यायालय उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर के निर्णय दिनांक 07.01.2008 के विरूद्ध पेश हुई है जिसमें रेस्पो. को अस्थाई आवंटन से पुख्ता आवंटन किया गया है जबकि मूल रूप से अस्थाई आवंटन अपीलांट के पिता मनीराम के नाम से होने से स्थाई आवंटन मनीराम के सभी वारिसान के नाम करने योग्य होने से अधी.न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाधीन आदेश की अपील मीमों में जो आपत्तियां जाहिर की गई है उसमें अपीलांट के पिता मनीराम को अपने जीवनकाल में वाके चक लखाटिब्बा तहसील रायसिंहनगर के मु.न. 477 पुराना नया 429 के 25 बीघा बारानी रकबा पर काबिज होने से उन्हें अस्थाई आवंटन होता रहा है। अधी.न्यायालय ने रेस्पो. तोलाराम को विवादित रकबा पुख्ता आवंटन करने से पूर्व ना तो मनीराम के नाम से पूर्व में टीसी आवंटन संबंधी दस्तावेजात का अवलोकन किया और ना ही रेस्पो. तोलाराम की पूर्व भूमि संबंधी तथ्यों की जांच की गई। रेस्पो. तोलाराम ने मृतक मनीराम के वारिसान के तथ्यों का उललेख नहीं करते हुये आवेदन किया और न ही अधी.न्यायालय ने वांछित वारिसान की सूची तलब कर उन्हें पक्षकार बनाया, ना ही तलब कर अपीलांट व अन्य वारिसान को सुना गया और ना ही उक्त प्रकरण के विचाराधीन होने का ज्ञान वा जानकारी ही रही।

रेस्पों. तलबी होकर उनके अभिभाषक द्वारा वकालतनामा पेश कर पैरवी की परन्तु अपील मीमों की आपत्तियां का कोई cross objection नहीं किया। अतः

28/4/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपीलांट की आपत्तियां मानने योग्य है साथ ही अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील मीमों के साथ फार्म नं. 3 के क.स0 5 पर प्रस्तुत दस्तावेज रजिस्टर इन्तजाम व वसूली लगान आराजी गैर मकबूजा (सिवायचक) 2023 के क.स. 131 पर विवादित आराजी बाबत अंकन उपलब्ध है कि ग्राम लखाटिब्बा नाम खातेदार मनीराम वल्द बिदाराम सा0 लिखमेवाला, ख.नं. 429, रकबा 25 बीघा, लगान मुजबिजा चकबन्दी 1 बदस्तूर है। कॉलम नं. 16 में मियाद पट्टा वकैद सम्वत 56/30 इस दस्तावेज से भी यह साबित है कि विवादित आराजी अपीलांट के पिता मनीराम के पट्टे पर रही है। इसी अनुरूप दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट द्वारा सम्वत् 2020 का भी दस्तावेज पेश किया जिसके क.स. 294 पर विवादित आराजी बाबत अंकन है कि अंकन है कि ग्राम लखा, नाम खातेदार में मनीराम पुत्र बिदाराम ख.नं. 429 रकबा 25 बीघा लगान, मुजव्विजा चकबंदी के कॉलम में पडत, कॉलम नं. 11 में मनीराम पुत्र बिदाराम ब्राहमण का नाम , कॉलम नं. 13 में ख.नं. 429, कॉलम नं. 14 में 25 बीघा, कॉलम नं. 15 में 1, कॉलम नं. 16 में सम्वत 2020, कॉलम नं. 17 में 26/72 दिनांक 27.07.63 अंकित है। अन्य दस्तावेजी साक्ष्य रजिस्टर तकसीम आरजी काश्त मु.न. 429 में काश्तकार मनीराम दर्ज है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज दिनांक 20.05.1964 के क.स. 133 का अंकन है कि कॉलम 4 में मनीराम वल्द बिदाराम ब्राहमण नि0 लिखमेवाला , कॉलम नं. 6 में ख.नं. 429, कॉलम नं. 7 में 25 बीघा , कॉलम सं. 8 में 1, कॉलम नं. 11 में मनीराम पुत्र बिदाराम जाति ब्राहमण नि0 लिखमेवाला, कॉलम नं. 13 में ख.नं. 429 , कॉलम नं. 14 में 25 बीघा, कॉलम नं. 15 में बशारट पडत, कॉलम नं. 17 में बहुक्म तारीख 20.05.64 अंकित है।

अतः मिसल नं. 470/01 टी.सी. से पुख्ता आवंटन बाबत संम्वत् 2042 से 2063 तक नवीनकरण तोलाराम पुत्र मनीराम के पक्ष में की गई रिपोर्ट रिकार्ड से परे है, जो पटवारी हल्का द्वारा तैयार की है जिसकी रेकार्ड से जांच भू0अभिलेख निरीक्षक द्वारा की जानी अपेक्षित थी जो न कर तहसीलदार द्वारा पीठासीन अधिकारी को अग्रेषित करना विधि विपरीत है तथा राजस्थान उपनिवेशन (गंगनहर

29/4/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) 1956 के नियम 3 में पुख्ता आवंटन के लिए जो पात्रता निर्धारित की है उसकी Bare reading है कि

3. Persons eligible for allotment of land.—(1) The persons eligible for allotment of lands, on a permanent basis, shall be following in the order of priority in which they are mentioned hereunder, namely :-

(i) Tenants who have been cultivating land temporary on the basis of three years girdawri since before 1947 and who cultivate or can reasonably be expected to cultivate personally; (ii) Zamindars who held, on or before the 1st day of July, 1947, less than 25 bighas of perennial land or less than 50 bighas of non-perennial irrigated land.]

(iii) Tenants who were allotted land for the first time in 1952 for temporary cultivation on the basis of 3 years girdawri, such allotment having been continued in subsequent years and who cultivate or can be reasonably expected to cultivate their land personally.

'[Explanation.—It is not necessary that a tenant should have been continuously cultivating the same piece of land on temporary cultivation lease; if he has been holding land on temporary cultivation lease anywhere in the Gang Canal area and has been cultivating it personally, he shall be eligible for permanent allotment of land under this clause.]

(iv) Tenants who have been cultivating land since before 1947 either under a lease or on batai;

(v) Tenant who have been cultivating barani land in the same chak or tehsil since before 1947;

(vi) Tenants who have been cultivating barani land from 1952 onwards.

(vii) x x x

(vii-A.) Temporary cultivators who were allotted land [on or before 1.1.1995], whether this temporary cultivation lease renewed or not or has been cancelled and such cultivators having possession on such land till the date of allotment] and who cultivate or can reasonably be expected to cultivate the land personally, subject to the condition that land is available. (viii) (a) Landless person of Scheduled Caste and Scheduled Tribes residing in the same chak;

परन्तु तोलाराम की पात्रता उपरोक्त Parameters अनुसार परीक्षित नहीं हुई । अतः तोलाराम का अस्थाई काश्त से पुख्ता आवंटन अपास्त योग्य है। उपरोक्त विवचन

24/4/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.01. 2008 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमांड किया जाता है कि अधी.न्यायालय निमय 3 के परिप्रेक्ष्य में मनीराम की पात्रता का परीक्षण कर उनके वारिसान का सजरा प्राप्त कर गुणावगुण के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/4/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर